

LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (Established by the Life Insurance Corporation Act, 1956)

Endorsement

एलआईसी के दुर्घटनात्मक मृत्यु तथा अपंगता हितलाभ राइडर (UIN: 512B209V02) LIC's Accidental Death and Disability Benefit Rider (UIN: 512B209V02)

यह दस्तावेज मूल पॉलिसी का एक पृष्ठांकन है , जिसका विवरण अनुसूची में दिया गया है और जो पॉलिसी का एक भाग समझा जाएगा.

लाभ और प्रीमियम, जैसे कि निम्नलिखित अनूसूची में वर्णित हैं, मूल पॉलिसी के अंतर्गत देय होंगे और वे मूल पॉलिसी में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त यहाँ उल्लेखित शर्तों के अधीन होंगे, जब तक उन्हें निर्दिष्ट रूप से बाहर न रखा जाए.

This DOCUMENT is an endorsement to the Base Policy, details of which are given in the schedule and which shall be deemed as part of the policy.

The benefits and premium as stated in the following Schedule are in addition to the benefit and premium payable under the base policy and shall be subject to the Conditions mentioned herein in addition to those of the base policy unless specifically excluded.

मण्डल कार्यालय / DIVISIONAL OFFICE:	तालिका / SCHEDULE	शाखा कार्यालय / BRANCH OFFICE:
पॉलिसी सं.:	एलआईसी के दुर्घटनात्म	- -
Policy Number:	अपंगता हितलाभ राइडर आरंभ होने की तिथि:	क
बीमित व्यक्ति का नामः Name of Life Assured:	Date of commencement of	
	LIC's Accidental De	
	Disability Benefit R	ider:
	जोखिम के आरंभ होने व	निधि:
दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि (₹):	Date of commence	ment of risk:
Accident Benefit Sum Assured (Rs):		
	एलआईसी के दुर्घटनात्म	
एलआईसी का दुर्घटनात्मक मृत्यु तथा अपंगता हितलाभ राइडर प्रीमियम (₹): LIC's Accidental Death & Disability Benefit Rider Premium (Rs):	अपंगता हितलाभ राइडर	
	अंतिम प्रीमियम की देय Due Date of payme	
	Last premium for	
	LIC's Accidental De	eath
	and Disability Bene	fit Rider:
	एलआईसी के दुर्घटनात्म	क पना न्या
	अपंगता हितलाभ राइडर	
	समाप्ति की तिथि:	
	Date of termination	of
	LIC's Accidental De	
	Disability Benefit R	ider:

दिनांक / Date:

जांचकर्ता / Examined by:

कृते मुख्य/वरिष्ठ/शाखा प्रबंधक p. Chief/ Sr./ Branch Manager

एलआईसी के दुर्घटनावश मृत्यु और विकलांगता हितलाभ की शर्तें निम्नानुसार हैं:

इस पॉलिसी के उद्देश्य से 'दुर्घटना' निम्न रूप में परिभाषित है ''एक दुर्घटना अचानक, अप्रत्याशित और अनैच्छिक घटना है जो बाहरी, हिंसक और दृश्यमान साधनों के कारण होती है.''

एलआईसी का दुर्घटनावश मृत्यु और विकलांगता हितलाभ अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर उपलब्ध है. यह लाभ पॉलिसी के अंतर्गत अवयस्क व्यक्ति के लिए, बीमित जीवन की अवयस्कता के दौरान उपलब्ध नहीं होगा. हालाँकि निगम के बीमांकन नियमों के अनुसार योग्य पाए जाने पर विशिष्ट अनुरोध प्राप्त होने और अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करने पर 18 वर्ष की उम्र के पूरा होने के बाद पॉलिसी की वर्षगांठ से यह हितलाभ उपलब्ध होगा.

उपरोक्त के अधीन होकर, एक प्रभावी पॉलिसी के अंतर्गत, एलआईसी के दुर्घटनावश मृत्यु एवं विकलांगता हितलाभ को मूल पॉलिसी की प्रीमियम भुगतान अविध के भीतर किसी भी समय चुना जा सकता है, बशर्ते, मूल पॉलिसी की बकाया प्रीमियम भुगतान अविध कम से कम पांच वर्ष हो, लेकिन पॉलिसी की वर्षगांठ से पहले हो जिस पर जीवन बीमित की निकटतम जन्मदिन आयु 70 वर्ष हो. जब भी इस हितलाभ को पॉलिसी के अंतर्गत चुना जाए, तो इस हितलाभ के अंतर्गत कवर किया जाने वाला लाभ बकाया प्रीमियम भुगतान अविध, या उस पॉलिसी वर्षगांठ तक उपलब्ध होगा, जिस पर जीवन बीमित की निकटतम जन्मदिन आयु 70 वर्ष हो, जो भी पहले हो, बशर्ते दुर्घटना की तिथि पर पॉलिसी पूरी बीमा राशि के लिए प्रभावी होती है.

इस पॉलिसी के अंतर्गत सभी प्रीमियमों का भुगतान हो जाने के बाद या उस पॉलिसी वर्षगाँठ पर या उसके पश्चात, जिस पर जीवन बीमित की निकटतम जन्मदिन आयु 70 वर्ष हो, जो भी पहले हो, इस हितलाभ के लिए अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी. हालांकि, मूल पॉलिसी के अंतर्गत प्रीमियम जिसके साथ यह हितलाभ संलग्न है, का भुगतान 70 वर्ष की आयु के बाद पॉलिसी अविध के समापन तक जारी रहेगा, जहाँ भी लागू हो.

दुर्घटना लाभ बीमा सुरक्षा की अधिकतम संयुक्त सीमा निम्नानुसार

(ए) रू. 100 लाख की न्यूनतम मूल बीमाकृत राशि वाले एलआईसी के जीवन शिरोमणी के लिए

एक ही जीवन पर व्यक्तिगत पॉलिसियों के साथ ही समूह पॉलिसियों, जिसके लिए अग्रांकित लाभ लागू होंगे, के अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ ली गई अंतर्निहित दुर्घटना लाभ वाली पॉलिसियों सहित सभी पॉलिसियों के अंतर्गत बीमा की अधिकतम संयुक्त सीमा किसी भी स्थिति में दुर्घटना लाभ बीमाकृत राशि (एलआईसी के जीवन शिरोमणि सहित) रू. 200 लाख से अधिक नहीं होगी. यदि एक से अधिक पॉलिसियां होंगी और यदि कुल दुर्घटना लाभ बीमाकृत राशि रू. 200 लाख (एलआईसी के जीवन शिरोमणि के अंतर्गत न्यूनतम रू. 100 लाख सहित) से अधिक होगी, तो लाभ जारी की गई पॉलिसियों की तिथि के क्रम में प्रथम रू. 200 लाख दुर्घटना लाभ बीमाकृत राशि पर लागू होंगे.

The conditions of LIC's Accidental Death and Disability Benefit Rider are as under:

An 'Accident' for the purpose of this policy is defined as "An Accident is a sudden, unforeseen and involuntary event caused by external, violent and visible means."

LIC's Accidental Death and Disability Benefit Rider is available on payment of additional premium. This benefit will not be available under the policy on the life of minors, during minority of the Life Assured. However, this Rider will be available from the policy anniversary following completion of age 18 years on receipt of specific request and payment of additional premium, if found eligible as per the underwriting rules of the Corporation.

Subject to as stated above, under an inforce policy the LIC's Accidental Death and Disability Benefit Rider can be opted for at any time within the premium paying term of the Base Policy provided, the outstanding premium paying term of the Base Policy is atleast five years but before the policy anniversary on which the age nearer birthday of the Life Assured is 70 years. Wherever this rider has been opted for under the policy, the benefit covered under this rider will be available during the outstanding policy term, or upto the policy anniversary on which the age nearer birthday of the Life Assured is 70 years, whichever is earlier, provided the Policy is inforce for the full Sum Assured as on date of accident.

The additional premium for this Rider will not be required to be paid after all premiums under this Policy have been paid or on and after the policy anniversary on which the age nearer birthday of the Life Assured is 70 years, whichever is earlier. However, the premium under the base policy with which this rider is attached shall continue to be paid beyond age 70 years till the end of policy term, wherever applicable.

The maximum aggregate limit of Accident benefit cover shall be as under:

(A) For LIC's Jeevan Shiromani with minimum Basic Sum Assured of ₹100 lakhs

The maximum aggregate limit of assurance under all policies including policies with inbuilt Accident Benefit taken with Life Insurance Corporation of India under individual policies as well as group policies on the same life to which following benefits apply shall not in any event exceed ₹200 lakhs of Accident Benefit Sum Assured (including LIC's Jeevan Shiromani). If there be more policies than one and if the total Accident Benefit Sum Assured exceeds ₹200 lakhs (including a minimum of 100 lakhs under LIC's Jeevan Shiromani) the benefits shall apply to the first ₹200 lakhs Accident Benefit Sum Assured in order of date of policies issued.

(बी) अन्य सभी योजनाओं के लिए (एलआईसी के जीवन शिरोमणि को छोडकर):

एक ही जीवन पर व्यक्तिगत पॉलिसियों के साथ ही समूह पॉलिसियों, जिसके लिए अग्रांकित लाभ लागू होंगे, के अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ ली गई अंतर्निहित दुर्घटना लाभ वाली पॉलिसियों सिहत सभी पॉलिसियों के अंतर्गत बीमा की अधिकतम संयुक्त सीमा किसी भी स्थिति में दुर्घटना लाभ बीमाकृत राशि रू. 100 लाख से अधिक नहीं होगी. यदि एक से अधिक पॉलिसियां होंगी और यदि कुल दुर्घटना लाभ बीमाकृत राशि रू. 100 लाख से अधिक होगी, तो लाभ जारी की गई पॉलिसियों की तिथि के क्रम में प्रथम रु. 100 लाख दुर्घटना लाभ बीमाकृत राशि पर लागू होंगे.

किसी भी स्थिति में, उपरोक्त (ए) के अंतर्गत ली गई पॉलिसियों सिंहत किसी व्यक्ति को प्रदान की गई अधिकतम दुर्घटना लाभ बीमा सुरक्षा रू. 200 लाख से अधिक नहीं होगी.

अगर जीवन बीमित व्यक्ति, जब यह पॉलिसी संपूर्ण बीमाकृत राशि के लिए प्रभावी हो, तब किसी समय दुर्घटना से संबद्ध होता/होती है, और ऐसी चोट समग्रतः इसके होने के 180 दिन के भीतर, प्रत्यक्ष रूप से और सभी अन्य कारणों से स्वतंत्र होकर (ए) या तो स्थाई एवं संपूर्ण अपंगता, जैसा यहाँ इसके पश्चात परिभाषित है, या (बी) जीवन बीमित की मृत्यु के रूप में परिणित होती है और यह निगम के संतोष तक सिद्ध होती है, तो निगम निम्नांकित मामले में सहमत होता है:

(ए). जीवन बीमित की विकलांगता : (1) इस पॉलिसी के अंतर्गत 10 वर्ष तक विस्तारित समान मासिक किस्तों में दुर्घटना लाभ बीमाकृत राशि के बराबर अतिरिक्त राशि का भुगतान. यदि उक्त 10 वर्ष की अविध के समापन से पहले मृत्यु या परिपक्वता के द्वारा यह पॉलिसी दावा बनती है, तो विकलांगता लाभ किस्तें जो बकाया नहीं बनती हैं, का भुगतान दावे के साथ किया जाएगा एवं (2) दुर्घटना लाभ बीमाकृत राशि की सीमा तक पॉलिसी (मूल योजना के अंतर्गत प्रीमियम सिहत) के अंतर्गत भारित भावी प्रीमियमों, यदि कोई हो, के भुगतान की माफी. किसी अन्य हितलाभ के लिए प्रीमियम, यदि इसे चुना गया हो, का भुगतान जारी रहेगा.

प्रीमियम की छूट सेइस पॉलिसी के अंतर्गत सभी विकल्प एवं इस अनुच्छेद के (बी) द्वारा आवरित लाभ समाप्त हो जाएँगे, उन ऐसे आश्वासनों को छोड़कर, यदि कोई हो, जो बीमाधारक की सभी मौजूदा पॉलिसियों के अंतर्गत कुल दुर्घटना लाभ बीमाकृत राशि से अधिक है और जो प्रीमियम का निरंतर भुगतान करके इसे लागू किया जा सकता है.

उपरोक्त विकलांगता को ऐसी विकलांगता होनी चाहिए जो कि 'दुर्घटना' का परिणाम है और वह संपूर्ण और स्थाई होना चाहिए. ऐसी सभी दुर्घटनाओं से स्वतंत्र होकर, अन्य सभी कारणों से आंशिक रूप से चोट लगने वाली और 180 दिनों के भीतर ऐसी विकलांगता में परिणित होती है, जिसके कारण जीवन (B) For all other plans (excluding LIC's Jeevan Shiromani):

The maximum aggregate limit of assurance under all policies including policies with inbuilt Accident Benefit taken with Life Insurance Corporation of India under individual policies as well as group policies on the same life to which following benefits apply shall not in any event exceed ₹100 lakhs of Accident Benefit Sum Assured. If there be more policies than one and if the total Accident Benefit Sum Assured exceeds ₹100 lakhs, the benefits shall apply to the first ₹100 lakhs Accident Benefit Sum Assured in order of date of policies issued.

In any case, the maximum Accident Benefit cover offered to an individual including the policies taken under (A) above, will not exceed ₹200 lakhs.

If the Life assured is involved in an accident at any time when this Policy is in force for the full Sum Assured, and such injury shall within 180 days of its occurrence solely, directly and independently of all other causes result in (a) either permanent and total disability, as hereinafter defined or (b) death of the Life assured and the same is proved to the satisfaction of the Corporation, the Corporation agrees in case of:

(a). Disability to the Life Assured: (i) pay additional sum equal to the Accident Benefit Sum Assured in equal monthly instalments spread over 10 years under this Policy. If the policy becomes a claim by the way of death or maturity before the expiry of the said period of 10 years, the disability benefit instalments which have not fallen due will be paid along with the claim and (ii) waive the payment of future premiums chargeable, if any, under the policy (including the premium under base plan) to the extent of Accident Benefit Sum Assured. The premium for any other Rider, if opted for, shall continue to be paid.

The waiver of premium shall extinguish all options under this policy and the benefits covered by (b) of this clause except as to such assurances, if any, as exceeds the total accident benefit sum assured under all the existing policies of the life assured and which may have been kept in force by continued payment of premiums.

The disability above referred to must be disability which is the result of an 'Accident' and must be total and permanent. Accidental injuries which independently of all other causes and within 180 days from the happening of such accident result in such disability due to which life assured is unable to perform at least 4 (four) of the following Activities

बीमाकृत व्यक्ति दैनिक रूप से निम्नलिखित कार्यों में से कम से कम 4 (चार) कार्य नहीं कर पा रहा/रही है (नीचे परिभाषित) स्थाई रूप से बिना मैकेनिकल उपकरण, विशेष उपकरणों या अन्य सहायकों के उपयोग सहित कोई भी बाहरी सहायता/समर्थन, तो ऐसी अक्षमता को कुल और स्थाई रूप में माना जाएगा निगम द्वारा प्राधिकृत चिकित्सा परीक्षक, विकलांग व्यक्ति को कुल तथा स्थाई रूप से प्रमाणित करने के लिए जीवन बीमा की जांच करेगा.

दैनिक जीवन की गतिविधियाँ इस प्रकार हैं:

- कपड़े पहनना सभी आवस्यक वस्त्रों, कृत्रिम अंगों या ऐसे अन्य सर्जिकल उपकरणों को पहनने और उतारने की क्षमता जो कि चिकित्सकीय रूप से आवस्यक हैं
- धोना साफ–सफाई और व्यक्तिगत स्वच्छता के पर्याप्त स्तर को बनाए रखने के लिए धोने की क्षमता.
- भोजन करना भोजन तैयार करने और तैयार होने के बाद एक प्लेट या कटोरे से भोजन को मुंह से स्थानांतरित करने की क्षमता.
- शौच करना शौच करने या अन्यथा मल-मूत्र विसर्जन को प्रबंधित करने की क्षमता, ताकि संतोषजनक स्तर की व्यक्तिगत स्वच्छता को बनाए रखा जा सके.
- गतिशीलता करना निवास के सामान्य स्थान पर कमरे की सतहों से कमरे में घर के अंदर जाने की क्षमता
- स्थानांतित होना एक बिस्तर से उठकर सीधी कुर्सी या व्हील चेयर पर जाने की क्षमता और इसके विपरीत.

उपर्युक्त के बावजूद, दुर्घटना की चोटें जो अन्य सभी कारणों से स्वतंत्र रूप से होती हैं और ऐसी दुर्घटना के होने से 180 दिनों के भीतर, दोनों आँखों की पूरी दृष्टि की अपूरणीय हानि होती है या कलाई के ऊपर या उससे ऊपर दोनों हाथों के विच्छेदन में या दोनों पैरों के एंकल पर या उससे ऊपर का विच्छेदन, या कलाई के ऊपर और ऊपर एक हाथ के अंगूठे में और टखने या उसके ऊपर एक पैर का विच्छेदन भी इस तरह की विकलांगता के रूप में समझा जाएगा.

विकलांगता के होने के बाद, उसका पूरा विवरण लिखित रूप में निगम के उस कार्यालय को दिया जाना चाहिए, जहाँ यह पॉलिसीसेवित होती है, जिसके साथ पता एवं बीमाकृत व्यक्ति का ठिकाना भी हो, जिसे विकलांगता होने के 90 दिनों के भीतर निगम के सेवाकर्ता कार्यालय को उस तरीके से दिया जाना चाहिए, जैसा इसे आवश्यक हो, जिसके साथ विकलांगता का निगम के लिए संतोषप्रद साक्ष्य हो और निगम के लिए बिना किसी खर्च के साथ हो. of Daily Living (defined below) permanently without any external help/support including the use of mechanical equipment, special devices or other aids, then such disability shall be treated as Total and Permanent. Medical Examiner authorized by the Corporation shall examine the life assured to certify the disability as Total and Permanent.

The Activities of Daily Living are:

- Dressing the ability to put on and take off all necessary garments, artificial limbs or other surgical appliances that are medically necessary
- Washing the ability to wash to maintain an adequate level of cleanliness and personal hygiene
- Feeding the ability to transfer food from a plate or bowl to the mouth once food has been prepared and made available
- Toileting the ability to use the lavatory or otherwise manage bowel and bladder functions so as to maintain a satisfactory level of personal hygiene
- Mobility the ability to move indoors from room to room on level surfaces at the normal place of residence
- Transferring the ability to move from a bed to an upright chair or wheel chair and vice versa

Notwithstanding what is mentioned above, Accidental injuries which independently of all other causes and within 180 days from the happening of such accident, result in the irrecoverable loss of the entire sight of both eyes or in the amputation of both hands at or above the wrists or in the amputation of both feet at or above ankles, or in the amputation of one hand at or above the wrist and one foot at or above the ankle, shall also be deemed to constitute such disability.

After the happening of the disability, full particulars thereof must be given in writing to the office of the Corporation where this Policy is serviced together with the then address and whereabouts of the Life Assured and within 90 days of the happening of the disability, must be given to the servicing Office of the Corporation, in the manner required by it, proof of disability satisfactory to the Corporation and without any expense to the Corporation. Medical Examiner authorized by the Corporation shall examine the Life Assured and certify in respect of any disability claimed after the intimation. Further, medical examination may be done to validate the continuity of disability on case to case basis, if required.

निगम द्वारा प्राधिकृत चिकित्सीय परीक्षक, सूचना के बाद दावा की गई किसी भी विकलांगता के संबंध में बीमाकृत व्यक्ति की पुष्टि करेगा और प्रमाणित करेगा. इसके अलावा, यदि आवस्यक हो तो केस के आधार पर विकलांगता की निरंतरता को वैध करने के लिए चिकित्सा जांच की जा सकती है.

अगर किसी भी समय यह पता लगता है कि इस खंड के अंतर्गत दावा गलत तरीके से दाखिल किया गया था, तो ऐसी स्थिति में, निगम को सूचना की तिथि के बाद बकाया होने वाली सभी प्रीमियमों को देय तिथियों पर भुगतान किया जाएगा और आगे सभी प्रीमियमेंजिनके लिए छूट का दावा गलत तरीके से किया गया था, और अतिरिक्त बीमाकृत राशि की सभी किस्तें, जो जीवन बीमित को चुकाई गई थी, को समय-समय पर निगम द्वारा निर्धारित दर पर ब्याज सिहत एकमुश्त रूप में निगम को वापस की जाएगी, जैसे कि कोई विकलांगता नहीं हुई है, ऐसा न करने पर

- (i) पॉलिसी के अंतर्गत उपलब्ध लाभ कम होंगे जैसे यदि पॉलिसी उस तिथि से बंद कर दी गई हो, जिस पर प्रीमियम की छूट दी गई हो याअतिरिक्त बीमाकृत राशि की पहली किस्त के भूगतान पर, जो भी पहले हो, और
- (ii) पहले से भुगतान की गई अतिरिक्त बीमा राशि की किस्तों को पॉलिसी की आय से समय-समय पर निगम द्वारा तय की गई दर पर ब्याज से कटौती की जाएगी.
 - अतिरिक्त दुर्घटना लाभ बीमाकृत राशि की कोई और किस्त नहीं देय होगी, यह मानते हुए जैसे कोई विकलांगता नहीं हुई है.
- (बी). बीमाकृत व्यक्ति की मृत्युः मूल पॉलिसी के अंतर्गत मृत्यु लाभ के अलावा, दुर्घटना लाभ के समतुल्य राशि के बराबर एक अतिरिक्त राशि इस पॉलिसी के अंतर्गत देय होगी. हालांकि, दुर्घटना के समय पॉलिसी लागू होनी चाहिए, चाहे वह मृत्यु के समय यह लागू हो या नहीं.

निगम उपरोक्त (ए) या (बी) में उल्लेखित अतिरिक्त राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, यदि बीमाकृत व्यक्ति की विकलांगता या मृत्यू निम्नांकित से हो:

- (i) जानबूझकर खुद को चोट पहुँचाना, आत्महत्या, पागलपन या अनैतिकता या जब बीमाकृत व्यक्ति नशीली शराब, मादक या नशीली दवाओं का सेवन कर रखा हो या उनके प्रभाव में हो (जब तक कि इलाज के एक हिस्से के रूप में डॉक्टर द्वारा निर्धारित नहीं हो); या
- (ii) दंगा, नागरिक हंगामा, विद्रोह, युद्ध (चाहे युद्ध घोषित हो या न हो), आक्रमण, शिकार, पर्वतारोहण, घुसपैठ, किसी प्रकार की दौड़, पैराग्लाइडिंग या पैराशूटिंग में भाग लेने से होने वाली चोटों के कारण, साहिसक खेल में; या

In the event of it being discovered at any time that a claim under this clause has been wrongly admitted, all premiums falling due after the date of the Corporation's intimation to that effect shall be paid on due dates and further all premiums for which waiver was wrongly claimed and all instalments of additional sum assured which have been paid to the life assured shall be returned to the Corporation in one lump sum with interest, at such rate as fixed by the Corporation from time to time, as if no disability had occurred, failing which

- (i) the benefits available under the policy shall stand reduced as if the policy has been discontinued as on the date from which premiums have been waived or on the payment of the first instalment of the additional sum assured, whichever is earlier and
- (ii) the instalments of additional sum assured already paid shall be treated as a debt against the said policy and shall be deducted with interest at such rate as fixed by the Corporation from time to time from the proceeds of the policy.

No further instalment/s of additional Accident Benefit Sum Assured shall be payable considering as if no disability had occurred.

(b). Death of the Life Assured: In addition to Death Benefit under the base policy, an additional sum equal to the Accident Benefit Sum Assured shall be payable under this policy. However, the policy shall have to be in force at the time of accident irrespective of whether or not it is in force at the time of death.

The Corporation shall not be liable to pay the additional sum referred in (a) or (b) above, if the disability or the death of the Life Assured shall:

- (i) be caused by intentional self injury, attempted suicide, insanity or immorality or whilst the Life Assured is under the influence or consumption of intoxicating liquor, narcotic or drug (unless prescribed by doctor as a part of treatment); or
- (ii) be caused by injuries resulting from taking any part in riots, civil commotion, rebellion, war (whether war be declared or not), invasion, hunting, mountaineering, steeple chasing, racing of any kind, paragliding or parachuting, taking part in adventurous sports; or

- (iii) बीमाकृत व्यक्ति से आपराधिक इरादे के साथ कोई आपराधिक कृत्य करने के परिणाम स्वरूप हो; या
- (iv) (ए) सशस्त्र बलों या सैन्य सेवा में बीमाकृत व्यक्ति के रोजगार से उत्पन्न हो. यह अपवर्जन तब लागू नहीं होता है जब बीमाकृत व्यक्ति किसी दुर्घटना में शामिल रहा हो, जब वह ड्यूटी पर नहीं रहा हो या हमारे देश में प्राकृतिक आपदाओं का सामना करते हुए किसी बचाव कार्य में शामिल हो; या
- (iv) (बी) अर्धसैनिक बलों के अलावा किसी भी पुलिस संगठन में पुलिस ड्यूटी (जो कि प्रशासनिक कार्य में शामिल नहीं है) में लगे होने से उत्पन्न हो. यह अपवर्जन तब लागू नहीं होता है, जब पुलिस ड्यूटी में लगे हुए दुर्घटना में होने वाली मृत्यु और विकलांगता लाभ को कवर करने का विकल्प चुना गया है; या
- (v) बीमाकृत व्यक्ति के साथ घटी दुर्घटना की तिथि से 180 दिनों के बाद हो.

मूल पॉलिसी के अभ्यर्पण पर देय लाभ:

इस हितलाभ का कोई प्रदत्त मूल्य नहीं होगा और इस हितलाभ के अंतर्गत कोई अभ्यर्पण मूल्य उपलब्ध नहीं होगा. हालांकि, अगर इस हितलाभ का चयन मूल पॉलिसी के लिए किया गया हो और इसके अभ्यर्पण पर हो, जिसके साथ यह हितलाभ संलग्न है, तो, बशर्ते इस हितलाभ एवं मूल पॉलिसी के संबंध में सभी देय प्रीमियमों का भुगतान किया गया हो और मूल पॉलिसी ने अभ्यर्पण मूल्य प्राप्त कर लिया हो, प्रीमियम भुगतान अविध के बाद बीमा-सुरक्षा के संबंध में भारित अतिरिक्त हितलाभ प्रीमियम कोनिम्नानुसार वापस किया जाएगा:

नियमित प्रीमियम पॉलिसी: कोई धनराशि वापस नहीं होगी.

एकल प्रीमियम पॉलिसी: हितलाभ एकल प्रीमियम का 90%* (पूर्ण वर्षों में इस हितलाभ के लिए बकाया अवधि / इस हितलाभ के संबंध में पॉलिसी अवधि)

सीमित प्रीमियम भूगतान पॉलिसी:

प्रीमियम भुगतान अविध के दौरान: 80%* (वार्षिकीकृत हितलाभ प्रीमियम प्रति रु. 1000 दुर्घटना लाभ बीमाकृत राशि –1)* (दुर्घटना लाभ बीमाकृत राशि /1000)* (उन वर्षों की संख्या जिनके लिए इस हितलाभ के संबंध में प्रीमियम का भुगतान किया गया है)

प्रीमियम भुगतान अवधि के बाद: 80%* (वार्षिकीकृत हितलाभ प्रीमियम प्रति रु. 1000 दुर्घटना लाभ बीमाकृत राशि –1)* (दुर्घटना लाभ बीमाकृत राशि/1000)* (हितलाभ के लिए प्रीमियम भुगतान अवधि)* (संपूर्ण वर्षों में हितलाभ के लिए बकाया अवधि / (इस हितलाभ के संबंध में पॉलिसी अवधि – हितलाभ के लिए प्रीमियम भुगतान अवधि)

जहाँ उपरोक्त एकल प्रीमियम / वार्षिकीकृत हितलाभ प्रीमियम में कर शामिल नहीं हैं.

- (iii) result from the Life Assured committing any criminal act with criminal intent; or
- (iv)(a) arise from employment of the Life Assured in the armed forces or military service. This exclusion is not applicable if the Life Assured was involved in an accident when he is not on duty or was involved in any rescue operations while combating natural calamities in our country; or
- (iv) (b) arise from being engaged in police duty (which excludes administrative assignments) in any police organization other than paramilitary forces. This exclusion is not applicable where the option to cover Accidental Death and Disability Benefit arising on accident while engaged in police duty, has been chosen; or
- (v) occur after 180 days from the date of accident of the Life Assured.

Benefit payable on Surrender of Base policy:

This rider shall not acquire any Paid-up Value and no Surrender Value will be available under this rider.

However, if this rider has been opted for and on surrender of the base policy to which this rider is attached, provided all the due premiums in respect of this rider and the base policy have been paid and the base policy has acquired surrender value, additional rider premium charged in respect of cover after premium paying term shall be refunded as follows:

Regular premium policy: Nothing shall be refunded.

<u>Single premium policy:</u> 90% of rider single premium * (outstanding term for this rider in complete years/ Policy term in respect of this rider)

Limited premium paying policy:

During Premium Paying Term: 80% * (annualised rider premium per ₹1000 Accident Benefit Sum Assured - 1) * (Accident Benefit Sum Assured/1000) * (Number of years for which premiums in respect of this rider have been paid)

After Premium Paying Term: 80% * (annualised rider premium per ₹1000 Accident Benefit Sum Assured – 1) * (Accident Benefit Sum Assured/1000) * (Premium paying term for the rider) * (outstanding term for the rider in complete years / (Policy term in respect of this rider – Premium paying term for the rider))

दुर्घटनावश दावे के लिए सामान्य आवश्यकताएँ :

दुर्घटनावश मृत्यु लाभ और विकलांगता दावे पर विचार करने के लिए, जिन परिस्थितियों में मृत्यु हुई है, उसका पता लगाने के लिए निम्नलिखित सूची से लागू विवरणों की माँग की जा सकती है जिसमें:-

- 1) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) की प्रमाणित प्रति.
- 2) पुलिस अन्वेषण रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति.
- 3) पंचनामे की प्रति
- 4) मृत्यु का संभावित कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट. यदि पोस्ट-मार्टम में विसरा संरक्षित किया गया है, तो सामग्रीजानने के लिए, अर्थात, क्या जीवन बीमित ने शराब, नशीली दवाओं, नशीले पदार्थों या जहर का सेवन तो नहीं किया था.
- 5) समाचार पत्र की कतरन जहाँ दुर्घटना की सूचना दी गई है.
- 6) यदि मृत्यु वाहन दुर्घटना के कारण होती है, तो ड्राइविंग लाइसेंस की प्रतिलिपि, यदि जीवन बीमित वाहन चला रहा था.
- 7) मृत्यु के बारे में उप-संभागीय मजिस्ट्रेट का अंतिम निर्णय यह मृत्यु को 'प्राकृतिक/आत्महत्या/आकस्मिक' का वर्गीकरण प्रदान करेगा.
- 8) जब पुलिस अधिकारियों को दुर्घटना सूचित नहीं की जाती है, जैसे कुत्ते या साँप के काटने की वजह से मृत्यु, तो वैकल्पिक प्रमाण जैसे कि प्रत्यक्षदर्शी का बयान, ग्रामसेवक या सरकारी अधिकारियोंका हलफनामा, हमारी अपनी जाँच रिपोर्ट, देखने वाले चिकित्सक या अस्पताल की रिपोर्ट पर्याप्त होगी.
- 9) अस्पताल का उपचार रिकॉर्ड, आदि

Where single premium / annualized rider premium mentioned above excludes taxes.

Normal requirements for accidental claim:

For considering accidental death benefit and disability claim, the applicable statements from the following list may be called to ascertain circumstances under which death / disability took place:-

- 1) A certified copy of first information report (FIR).
- 2) A certified copy of police inquest report.
- 3) Copy of panchanama.
- 4) Post mortem report to know the probable cause of death. If viscera is preserved in post mortem, then chemical analyzer report to know the contents i.e. whether life assured has consumed liquor, drugs, narcotics or poison.
- 5) News paper cuttings where accident is reported.
- 6) If death is due to vehicle accident, then copy of driving licence, if life assured was driving the vehicle.
- Sub-divisional magistrate final verdict about death- this will give classification of death as 'natural/suicide/accidental'
- 8) When accident is not reported to police authorities, like death due to dog or snake bite, then alternate proofs such as statement of eye witness, affidavit of gramsevak or govt. officials, our own enquiry report, attending physician or hospital reports may be sufficient.
- 9) Hospital treatment records, etc.